

न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र. :- / 18

नंगरानी-2600/2018/विदिशा/भू. २८

मा.रु. - १७० - ६३१
नं. २७.५-१०।
प्रारंभिक तिथि है
३-५-१८ निवत।

कलंक ऑफ कोर्ट ७-४-१८
व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. वीरविक्रमादित्य माथुर आयु वयस्क पुत्र स्व. श्री हरसुख राय माथुर निवासी गनेशपुरा बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)
2. कमालपाशा माथुर आयु वयस्क पुत्र स्व. श्री हरसुख राय माथुर निवासी गनेशपुरा बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

.....आवेदक / रिस्पांडेन्ट

विरुद्ध

1. सर्वेश कुमार पुत्र दौलतराय माथुर निवासी बी-503, क्रस्टिल कोर्ट, सेक्टर-7, नवी मुम्बई (महाराष्ट्र)
2. अखिलेश कुमार
3. विश्वेश कुमार
4. योगेश कुमार पुत्रगण स्व. दौलतराय माथुर निवासीगण उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.)

.....अनावेदक / अपीलांट

5. शान्तनु आयु वयस्क पुत्र वीरविक्रमादित्य माथुर निवासी गनेशपुरा, बासौदा तहसील बासौदा
6. दुष्ण्णत आयु वयस्क पुत्र वीरविक्रमादित्य माथुर निवासी न्यू स्टेट फेरेन्यू मैसूर, कर्नाटक
7. विवेक कुमार आयु वयस्क पुत्र हरसुख राय माथुर निवासी गनेशपुरा, बासौदा तहसील बासौदा
8. स्वर्णकुमारी ग्राम टपोकरा निवासी हरियाणा

9. बवीता आयु वयस्क पुत्री हरसुखराय माथुर , निवासी मेला ग्राउंड के सामने , शिवपुरी (म.प्र.)
 10. मायाबाई आयु वयस्क पुत्री हरसुखराय माथुर , निवासी दिल्ली हाईवे , शाहपुरा , राजस्थान
 11. सुलक्षणाबाई आयु वयस्क पुत्री हरसुखराय माथुर निवासी मेला ग्राउंड के सामने , शिवपुरी (म.प्र.)
-अनावेदक/रिस्पांडेन्ट

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षण याचिका व मामले प्रकरण क्रमांक 10/अपील/2017-18 सर्वेश कुमार आदि विरुद्ध शान्तनु आदि में श्री अनुविभागीय अधिकारी महोदय बासौदा जिला विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/03/18 से दुखित होकर

श्रीमान महोदय ,

पुनरीक्षण याचिका रिस्पांडेन्ट क्रमांक 04 एवं 05 की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि ग्राम विस्कावली तहसील बासौदा स्थित खाता नंबर 44 आराजी नंबर 4 , 6 , 8 , 23 मिन , 35 , 81 , 90 , 161 किता 08 कुल रकबा 14.768 हैक. एवं ग्राम बूचाखेड़ी तहसील बासौदा के आराजी नंबर 19 , 80 , 82 , 83 , 60/2 , 134/1 कुल किता 06 कुल रकबा 7.378 हैक. में अधिकार अभिलेख में अपीलांट विश्वेस कुमार , अखिलेश कुमार , सर्वेश कुमार का नाम त्रुटिपूर्ण ढंग से दर्ज हो जाने के कारण तहसीलदार बासौदा द्वारा 22/10/14 को पारित आदेश के विरुद्ध दिनांक 24/10/17 को अपील अनुविभागीय अधिकारी बासौदा के न्यायालय में अनावेदक/अपीलांट क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा प्रस्तुत की गई ।
2. यह कि अपील में श्रीमति कुसुम बाई पुत्री हरसुखराय माथुर निवासी यिक्कूट स्कीम स्टेडियम के पीछे , जयपुर (राजस्थान) को रिस्पांडेन्ट क्रमांक 03 के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2600/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
८-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २७-३-१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p></p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	